

2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेम सिंह जोधा बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) सू.अ.अपील संख्या 411/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.23	<p>अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2022 में उसके द्वारा (1) जिला कलक्टर, जोधपुर के प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2021 को ग्राम पंचायत धींगाणा, प.स. लूणी में आयोजित कैम्प में तहसील लूणी की राजस्व शाखा से संबंधित भिजवाई गई दैनिक प्रगति रिपोर्ट की नियमानुसार प्रमाणित छायाप्रति (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	